न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 182/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/ 00036)

1. पोकरदास पुत्र स्व. फरसदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू (फौत)
   - 1/1 छोटा देवी पत्नी स्व. पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/2 रामनिवास पुत्र पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/3 रामेश्वरलाल पुत्र पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/4 सुमित्रा पुत्री पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/5 राजुदेवी पुत्री पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/6 नानीदेवी पुत्री पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/7 इन्द्रा बेवा स्व. बजरंगदास पुत्र स्व. पुत्र पोकरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
   - 1/8 शिवराज पुत्र स्व. बजरंगदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू। नाबालिक जरिये प्राकृति संरक्षक माता इन्द्रा बेवाह स्व. बजरंगदास
   - 1/9 रचना पुत्री स्व. बजरंगदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू। नाबालिक जरिये प्राकृति संरक्षक माता इन्द्रा बेवाह स्व. बजरंगदास
2. मल्लदास पुत्र स्व. फरसदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू (फौत)
3. श्रीराम पुत्र स्व. फरसदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू (फौत)
3. भागीरथ पुत्र स्व. फरसदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू (फौत)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र स्व. फरसदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्रवणदास जाति स्वामी निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
3. गोपालदास पुत्र स्व. श्रवणदास जाति स्वामी निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
4. सोहनलदास पुत्र स्व. श्रवणदास जाति स्वामी निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
5. मूलदास पुत्र स्व. श्रवणदास जाति स्वामी निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. गोविन्ददास पुत्र स्व. श्रवणदास जाति स्वामी निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
7. श्रीमती जीवणी पुत्री स्व. श्रवणदास धर्मपत्नी मांगीलाल जाति स्वामी निवासीनी ग्राम जेगणिया तहसील रतनगढ जिला चूरू।
8. श्रीमती तुलछी पुत्री स्व. श्रवणदास धर्मपत्नी भगवानदास जाति स्वामी निवासीनी ग्राम जेगणिया तहसील रतनगढ जिला चूरू।
9. सरपंच ग्राम पंचायत कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर

रेस्पोडेन्ट्स

11. पेमदास पुत्र स्व. फरसदास जाति स्वामी निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।

गोण रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1.श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यपाल सिह – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 23–09–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बीदासर के निर्णय दिनांक 11.01.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत, कातर छोटी पंचायत समिति सुजानगढ के आदेश दिनांक 23.02.2007 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ में अपील पेश कर निवेदन किया। नामान्तरकरण सं. 282 दिनांक 23.02.2007 को अपास्त फरमाया जावे एवं मुताबिक रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा दिनांक 07.06.1996 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश किया जावे। जिस उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नही होने व वादगत भूमि पैतृक मानते हुऐ अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 एवं 11 के निमित पहले साधारण सम्मन जारी किये गये एवं उसके बाद रजिस्ट्र्ड

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सम्मन जारी किये जाने के बाद भी उपस्थित नही होने पर इनके खिलाफ (Ex –Party) एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाये जाने के आदेश दिये गये।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता व रेस्पोडेन्ट नं. 2 के ससुर व रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 8 के दादा व 11 के पिता फरसदास पुत्र भगवानदास स्वामी गेवरसर के स्वउपार्जित खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नं. 163 तादादी 51–18 बीघा वाके रोही कातर बड़ी व खसरा नं. 20 तादादी 12–12 बीघा, खसरा नं. 83 रकबा 8–18 बीघा वाके रोही कातर छोटी में स्थित है। उपरोक्त खेत फरसदास के स्वउपार्जित थे। फरदास ने तीनो खसरा नं. के खेतो की पंजीकृत वसीयत अपीलान्ट एव गौण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनाक 07.06.1996 को उप पंजीयक कार्यालय बीदासर में पंजीकृत करवा दी थी। फरसदास ने अन्य वारिसानो को अन्य सम्मतियों खरीद कर अलग से दे दी थी। फरसदास का स्वर्गवास दिनांक 10.01.1997 को गेवरसर में हो गया था। नामान्तरकरण सं. 306 दिनांक 7.11.1997 को मुताबिक वसीयत के ग्राम पंचायत कातर बड़ी के खेत खसरा नं. 163 रकबा 51–18 बीघा का दर्ज होकर पंचायत सर्व सम्मति से स्वीकृत कर दिया। उस समय ग्राम पंचायत कातर छोटी व बड़ी के पटवार अलग –अलग होने की जानकारी अपीलान्ट सं. 3 को नही थी, इस कारण ग्राम कातर छोटी के पटवारी को पंजीकृत वसीयत की नकल अलग से नही दी जा सकी। ग्राम पंचायत कातर छोटी के क्षेत्राधिकार मे दोनो रोही क्षेत्र आते है इस कारण अपीलान्ट इस भरोसे रहे कि नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो वसीयत के अनुसार दोनो रोही क्षेत्र की भूमियो के नामान्तरण उनके नाम दर्ज हो गये किन्तु ग्राम पंचायत ने मात्र कातर बड़ी की रोही की भूमि का ही नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किया। इसके बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8 ने पटवारी व सरपंच से मिलकर ख. नं. 20 व ख. नं. 83 का नामान्तकरण सं. 282 विरासतन स्वीकृत करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर मानने में कानूनी गलती की है। प्रथम अपील प्रस्तुत करने मे अपीलान्ट ने जानबूझ कर या लापरवाही से कोई देरी नही की थी। बल्कि दो अलग–अलग रोही होने व एक ही पंचायत होने के कारण

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गलतफेमी के चलते देरी हुई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील को निरस्त फरमाये जावे एवं वादगत भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1982 पृष्ठ 332, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील अपीलान्ट द्वारा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद मियाद बाहर पेश की गई थी। लेकिन अपीलान्ट को नामान्तकरण सं. 282 दिनांक 23.02.2007 की प्रारम्भ से जानकारी थी। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी नही दिया । मेरा अधीनस्थ न्यायालय में भी मियाद पर यही आपत्ति थी। अधीनस्थ न्यायालय में इनकी अपील कानूनी रूप से मेन्टेलेबल नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनकी अपील को सही निरस्त की गई है, जो कानून सही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.01.2016 के द्वारा अपील मियाद बाहर एवं वादगत भूमि पैतृक प्रमाणित होने के आधार पर खारिज की है। उक्त अपील ग्राम पंचायत कातर छोटी के नामान्तरकरण सं. 282 दिनांक 23.02.2007 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा ग्राम कातर छोटी के खं. नं. 20 व 83 की 21.10 बीधा भूमि का विरासतन नामान्तकरण खातेदार फरसदास वल्द भगवानदास कौम साध के वारिसान सुरजाराम, पोकरदास, मल्लदास, श्रीरामदास, भागूदास, पेमदास पि. फरसदास 6/7 हि. ब. भवरी देवी पत्नि श्रवणदास, गोपालदास, सोहनदास,मूलदास, गोविन्ददास, जीवणी तुलछा पि.श्रवणदास 1/7 हिस्सा ब. के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। अपीलान्ट के पक्ष में पजीकृत वसीयत दिनांक 07.06.1996 के आधार

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर वसीयत में वर्णित भूमि ग्राम कातर बड़ी के खं. नं. 163 की 51.18 बीघा भूमि का नामान्तकरण सं. 306 दिनांक 07.11.1997 को स्वीकृत हो चुका है जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने कोई अपील प्रस्तुत नही की है, ना ही रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई खण्डन अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है अर्थात मृतक फरसदास के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि कातर बड़ी व कातर छोटी दो अलग –अलग ग्राम एव ग्राम पंचायत में स्थित थी जिनकी एक ही वसीयत दिनांक 07.06.1996 को उप पंजीयक बीदासर के यहा पजीबद्व हुई। वसीयत कृर्ता फरसदास की मृत्यु दिनांक 10.01.1997 के पश्चात दिनांक 07.11.1997 को ग्राम कातर बड़ी के नामान्तकरण वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया परन्तु ग्राम कातर छोटी में वारिसान नामान्तरकरण दर्ज किया गया। अपीलाधीन इन्तकाल सं. 282 दिनांक 23.02.2007 जिसकी जानकारी नही होने के आधार पर अपील अधीनस्थ न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत की के अतिरिक्त वादगत भूमि की पैतृक प्रमाणित नही होने से खारिज की है। अपीलान्ट के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर गाव कातर बड़ी मे नामान्तरकरण स्वीकृत होना व ग्राम कातर छोटी मे वसीयत के अधार पर नामान्तरकरण की प्रार्थना पत्र को मियाद के बिन्दू पर खारिज करना एक ही वसीयत कर्ता कें पजीकृत दस्तावेज के सम्बन्ध में दो विरोधाभाषी निर्णय हुए है चूकि अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो मे अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है मियाद के बिन्दु पर माननीय न्यायालय RRD 2017 पृष्ठ 534, DNJ 2003 पृष्ठ 1091, RLW 2001 पृष्ठ 335, के अलावा भी अनेक दृष्टान्त है, कि विलम्ब को माफ करते हुए मेरिट पर निर्णय किया जाना चाहिये, साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण सं. 52 में ग्राम कातर छोटी के खं नं. 17 की 22 बीघा भूमि फरसदास की खुदकास्त भूमि को धारा 15 के तहत खातेदारी दी गई। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खं. नं. 17 से नये खं. नं. 19, 20, 82, 83, 84 बने है इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वसीयत कर्ता की पैतृक भूमि होने का जो निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय ने लिया वो कतई सही नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.01.2016 एवं

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 23.02.2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बीदासर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में वारिसान वसीयत की जांच कर निर्णय पारित करें

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।

आदेशिका दिनांक 30-09-2021 के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 CPC के तहत निर्णय में अपीलान्ट सं. 2 मल्लदास, अपीलान्ट सं. 3 श्रीराम एव अपीलान्ट सं. 4 भागीरथ के अंकन के बाद फौत शब्द को नहीं पढ़ा जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर